चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक में काटा जाएगा।

मुसलमानों की माता आइशा -रज़ियल्लाहु अनहा- का वर्णन है, वह कहती हैं कि अल्लाह के
नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है : "चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे
अधिक में काटा जाएगा।"
[स़ह़ीह़] [इसे बुख़ारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है]

अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने बताया है कि चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक सोना चुराने पर काटा जाएगा। एक चौथाई दीनार की क़ीमत 1.06 ग्राम सोने के बराबर होती है।

http://www.sunnah.global/hadeeth/hi/show/2964